

## जनजातियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं पर आर्थिक विकास का प्रभाव (दक्षिणी राजस्थान के विशेष संदर्भ में)

डॉ. निशा शर्मा\*

\* सहायक प्राध्यापक (अर्थशास्त्र) राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.) भारत

**प्रस्तावना** - वर्तमान में जनजाति समाज की संस्कृति तथा सभ्यता की सीमाएँ जंगलों तक ही सीमित नहीं रही। जहाँ विकास के कारण यह समाज शहरों की ओर अग्रसर हुआ है, वही इनका सम्पर्क शहरों व कस्बों के निवासियों से होने लगा और अर्थोपार्जन के नवीन आयामों के चलते जनजाति समाज भी हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई आदि के सम्पर्क में आए हैं, जिससे इनमें संस्कृतिकरण का श्रीगणेश हुआ। देश में औद्योगीकरण, शहरीकरण, उदारीकरण एवं शिक्षा के प्रसार की तीव्रता के चलते इन परिवारों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा जीवन से जुड़े अन्य संरचनात्मक पहलुओं में परिवर्तन परिलक्षित हो रहे हैं। प्रस्तुत शोध भारत में आर्थिक विकास के कारण, जनजातियों में सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तन पर प्रकाश डाल रहा है।

**अध्ययन क्षेत्र** - सम्पूर्ण राजस्थान में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें तीन भागों में - दक्षिणी राजस्थान, दक्षिण-पूर्वी राजस्थान एवं पश्चिमी राजस्थान में विभाजित किया जा सकता है। प्रस्तुत शोध दक्षिणी राजस्थान तक सीमित है। दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रतापगढ़, बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर जिले एवं उदयपुर जिले की सात तहसीलें (फलासिया, खेरवाड़ा, सराड़ा, कोटड़ा, गिरवा, लसाड़िया तथा सलूम्बर) तथा सिरोही जिले की आबू रोड़ तहसील सम्मिलित है। राजस्थान राज्य की जनजातीय जनसंख्या का 43.8 प्रतिशत भाग इसी क्षेत्र में निवास करता है, जिसमें भील, मीणा, गरासिया, काथोड़ी तथा डामोर जनजाति प्रमुख हैं। जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण ही इस क्षेत्र का चयन अध्ययन के लिये किया गया।

**शोध उद्देश्य :**

1. दक्षिणी राजस्थान की जनजातियों के सामाजिक जीवन पर आर्थिक विकास के प्रभाव पर प्रकाश डालना।
2. अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों के सांस्कृतिक मूल्यों पर आर्थिक विकास के प्रभावों का विश्लेषण करना।

**शोध प्रविधि** - दक्षिणी राजस्थान में आर्थिक विकास का जनजातियों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं पर प्रभाव का मूल्यांकन द्वितीयक समकों के आधार पर किया गया है।

**विषय प्रवेश** - परिवर्तन एक शाश्वत सत्य है। कोई भी समाज चाहे वह आदिम हो, आधुनिक, प्रत्येक समाज में समय के साथ परिवर्तन अवश्य ही देखने को मिलता है। वर्तमान में जहाँ आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण,

संस्कृतिकरण की प्रक्रियाओं का आधुनिक समाज पर प्रभाव पड़ा है, तो परिणामस्वरूप आधुनिक सभ्य समाजों में वैज्ञानिकता के समावेश के साथ-साथ परिवर्तन भी अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। जिन समाजों में परिवर्तन की गति तीव्र रही है, वह दुनिया की दौड़ में आगे निकल चुके हैं तथा जो समाज आज भी प्राचीन परम्पराओं, विचारों, ज्ञान, विश्वास, प्रेम व श्रद्धा पर निर्मित है, वह आज भी परिवर्तन की होड़ा होड़ में पीछे इनमें परम्परागत स्वरूप की प्रतीक जनजाति समाज भी है। सामाजिक, आर्थिक विकास की दृष्टि से जनजाति समाज को निम्नतम सोपान में रखा जाता है :

**युवा ग्रह** - आज जनजाति समाज की सामाजिक संरचना, समृद्ध समाज से मेल खाने लगी है। वे विशिष्टताएं, जिसके लिए जनजाति विख्यात थे, वे अब अतीत की धरोहर बनने का संकेत दे रही हैं। भोटिया, मारिया तथा भील जनजाति समाज में युवा ग्रहों का पूर्ण पतन हो गया है। इसका मूल कारण जनजाति समाज का अर्थोपार्जन के लिए शहरों तथा कस्बों की ओर पलायन है, जिसके फलस्वरूप इनका बाह्य समाजों से संपर्क तथा सभ्य समाज से निरंतर संपर्क को माना जा सकता है। भले ही युवा ग्रहों की समाप्ति हो चुकी होती तथा मेलों के समय जनजाति जीवनसाथी का चयन आज भी कर रहे हैं। युवा ग्रह केवल जीवन चयन का ही माध्यम नहीं थे। युवा ग्रह के माध्यम से संस्कृति, हस्तांतरण समूह एकता तथा सामुदायिक भावनाओं को भी बल मिलता था, जो कि वर्तमान में पतन की ओर अग्रसर है। आज की प्रगतिशील आधुनिक युग में जनजातीय परिवारों का स्वरूप परिदृश्य प्रस्तुत कर रहा है। वनों के अत्यधिक दोहन एवं नई वन नीति के कारण आदिम समाज रोजी-रोटी के जुगाड़ हेतु शहरी क्षेत्रों में दर-दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। इन्हें परिवार को त्याग कर शहर की ओर प्रवर्जन करना पड़ रहा है। जनजातीय परिवार प्राचीन प्रथा तथा रीति रिवाज भूलते जा रहे हैं।

**विवाह संस्कार**

**हिन्दू समाज संस्कृति के समान** - जनजाति समाज में विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं माना जाता, क्योंकि इस समाज में वैवाहिक संबंधों को झगड़ा देकर या लेकर तोड़ा जा सकता है। साथ ही जनजातीय समाज की विवाहित प्रक्रिया में पारम्परिक रीतियों का भी पतन प्रारम्भ हो गया है, जैसे पूर्व में विवाह की एक प्रक्रिया में लड़की ओढ़नी आकाश में उड़ाती हैं तथा लड़का उसे स्वीकार कर लेता है तो उनमें विवाह कर दिया जाता था (शर्मा : 1988 : 321-322)। परंतु अब यह प्रथा करीब-करीब समाप्त हो चुकी है। वर्तमान

में परिवर्तित परिवेश में अविवाहित भील युवतियाँ एवं युवक समीप वाले हाट या मेले में प्रेम विवाह को स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। भील समाज में पहलेदापा (कन्या मूल्य) वर पक्ष द्वारा चुकाने पर ही विवाह हो पाता था परंतु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के कारण अंतरजाति विवाह एवं दहेज प्रथा का प्रचलन बढ़ा (श्रीवास्तव, 1998 : 4-5) है। पूर्व में विवाह की रस्म संबंधित टोटल पेड़ की शाखा के 10 परिक्रमा करके पूर्ण कर ली जाती थी, परंतु बदलते परिवेश में ब्राह्मण की मौजूदगी में मंडप के नीचे हिन्दू परंपरा से वैवाहिक प्रक्रिया सम्पन्न होती है।

**आवास व्यवस्था** - चयनित क्षेत्र में आवास व्यवस्था में भी परिवर्तित परिदृश्य प्रस्तुत कर रही है। पूर्व में जहां जनजातीय परिवार वन उत्पादों के माध्यम से ही कार्य सम्पन्न करते थे। स्थानीय कला के माध्यम से आवास को सुसज्जित करते थे, परंतु अब कतिपय जनजातीय समाज द्वारा पक्के आवास ग्रहों का निर्माण किया जाने लगा है। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे जनजातीय परिवार इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी अनेक योजनाओं से पक्के मकान निर्मित कर रहे हैं।

**रहन-सहन** - अर्थोपार्जन के लिए जनजातीय समाज जंगल एवं गांव छोड़कर शहरों की ओर प्रवृत्त करने लगे, तो शहरीकरण के प्रभाव स्वरूप व आदिवासी परंपरागत पोशाक धोती, कुर्ता व फाग के स्थान पर अब युवक पैंट, शर्ट पहनने लगे हैं। पजामे का प्रयोग भी करने लगे हैं। मोटे सूती कपड़ों के स्थान पर टेरिकोट आदि का प्रयोग हो रहा है। स्त्रियां लहंगा, कांचली और ओढ़नी की बजाय साड़ी, ब्लाउज एवं सलवार कुर्ते का प्रयोग करने लगी हैं। रुमाल साथ रखते हैं।

**आभूषण** - आभूषण सफेद तांबा और पीतल के स्थान पर चांदी आदि के पहनने लगी हैं। सम्पन्न परिवारों में सोने का भी प्रयोग होने लगा है।

**गोत्र व्यवस्था** - जनजाति समाज की सामाजिक संरचना का अन्य आधार गोत्र व्यवस्था रही है। उदाहरण के तौर पर, जब तक भील जनजाति समाज के लोग एक निश्चित भूभाग में निवास करते थे, तब तक गोत्र प्रणाली का पर्याप्त महत्व था जो कि भीलों की सामाजिक संरचना में जलवायु के समान थी। लेकिन जब से भील समाज जीविकोपार्जन के लिए अपना समूह एवं गांव छोड़कर शहरों की ओर अग्रसर होने लगे हैं, तब से शहरों में सभ्य समाज की ओर उन्मुख हुए हैं। गोत्र संबंधी प्रतिबंधों में शिथिलता आने लगी। वर्तमान में भीलों में गोत्र व्यवस्था सामाजिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पा रही है। अब तो गोत्र मात्र विवाह नियमों तक ही सीमित रह गई है। साथ ही नातेदारी का क्षेत्र भी विविध बाहरी कारकों तथा यातायात एवं आवागमन स्थान परिवर्तन के प्रभाव स्वरूप विस्तृत हुआ है।

**महिलाओं की स्थिति** - वर्तमान के संक्रमण काल का नकारात्मक प्रभाव जनजातीय समाज की स्त्रियों पर पड़ा है। गैर-जनजातीय समाज के संपर्क से पूर्व आमतौर पर स्त्रियों की स्थिति उच्च रही थी एवं आदिवासियों में लिंगानुपात की समानता भी इसे स्पष्ट करती है। आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में भी नारियों की स्थिति उच्च रही है तथा स्त्रियों को धार्मिक विवाह क्षेत्रों में पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। यह विवाह दीर्घ अवस्था में किया जाता था। दहेज व पर्दा प्रथा नहीं थी। स्त्री-पुरुषों में समान रूप से विवाह विच्छेद के अधिकार प्राप्त थे। विधवा विवाह, पुनर्विवाह का चलन था परंतु वनों की कमी एवं नवीन वन नीतियों के कारण जनजाति समाज जब से अर्थोपार्जन के वैकल्पिक साधनों की तलाश में बाहर निकले, तब बाह्य संपर्क विशेष तौर से सभ्य समाज के संपर्क से इनकी स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है।

यद्यपि विवाह विच्छेद, पुनर्विवाह का प्रचलन आज भी आदिवासी समाज में देखने को मिलता है। आर्थिक क्षेत्र में उपयोग मूलक संस्कृति की समाप्ति के कारण स्त्रियों का महत्व घटा है। (कुंवर इकताल : 1999 : 40-43)।

**शैक्षणिक स्थिति** - शैक्षणिक दृष्टि से भी आदिवासी समाज में पर्याप्त परिवर्तन देखने को मिलता है। सरकार के प्रयास एवं पंचवर्षीय योजनाओं के फलस्वरूप इस क्षेत्र में प्रगति देखने को मिलती है। आरक्षण एवं संवैधानिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप जनजातीय समाज का प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। हालांकि यह भी सत्य है कि राजस्थान में ही निवास करने वाली मीणा जनजातीय अन्य जनजाति समाज की तुलना में अधिक जागरूक एवं शिक्षित है। राजनीतिक, सामाजिक एवं सरकारी नौकरियों के उच्च पदों पर देखा जा सकता है।

**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य** - वर्तमान में स्थानीय जनजाति क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में भी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। कुछ दशक पूर्व तक जहां जनजाति बाहुल्य गांव में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का अभाव था वहां चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना हो चुकी है, जिससे समान ओझा तथा झाड़-फूंक करने वाले जनजाति लोगों के महत्व में तो कमी नहीं आई, मगर जनजातियों को अनेक बीमारियों से मुक्ति अवश्य मिल गई (सैनी, 2003 : 80-83)। आज सम्पूर्ण जनजातियों के एक अभिजात वर्ग उभर कर आ रहा है। यह वर्ग वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ वांछित सामाजिक, प्रस्थिति प्राप्त कर सकने में सफलता प्राप्त कर सका है। इस वर्ग में ही जनजाति समाज में शिक्षक, नेता तथा धार्मिक लोग हैं। यह सभी व्यक्ति एवं इनका परिवार स्वयं को जनजाति समुदाय में उच्च समझने लगे हैं। परिणाम तय है जनजाति समुदाय दो भागों में उच्च एवं निम्न वर्ग में विभक्त हो गया है। नृजाति वर्ग उच्च भावना से ग्रस्त है। आज जनजाति रीति-रिवाजों, परंपराओं व प्रथाओं को लेकर मतभेद उभरने लगे हैं एवं अभिजात वर्ग जनजाति के जनसामान्य से धीरे-धीरे पृथक होते जा रहे हैं।

**धार्मिक क्षेत्र** - आज जनजाति समाज में धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलते हैं। प्राचीनकाल से ही जनजातियों का विशिष्ट धर्म रहा है जिसे आदिम धर्म के नाम से जाना जाता है। इनके देवता तथा इनकी उपासना पूजा के अलग ही तरीके थे। यह नवरात्रा में उत्सव मनाते थे। साधारणतया अमरा गोरी का उत्सव मनाते थे। उस दिन मेला भी लगाया जाता था। इनकी उपासना का ढंग बहुत ही विशिष्ट था परंतु हिन्दू एवं अन्य धर्मों के संपर्क में आने के प्रभाव स्वरूप आदिम धर्म का त्याग कर चुके हैं। अब यह हिन्दू देवी-देवताओं की भी पूजा अर्चना करने लगे हैं। इन देवी-देवताओं में शिव, पार्वती, गणेश, राम, हनुमान, दुर्गा आदि हैं, तथा जनजातियों ने जैन धर्म को भी अपना लिया है। अतः ऋषभदेव की भी पूजा करने लगे हैं। साथ ही जनजाति समाज में हिन्दू धर्म का प्रभाव आसानी से देखा जा सकता है। अब बेषेश्वर तथा गौतमेश्वर के साथ-साथ अस्थि अवशेष भी गंगा या गंगोत्री में प्रवाहित करने लगे हैं। भगत आंदोलन के प्रभाव स्वरूप आदिवासी धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। यह धर्म हिन्दू धर्म शास्त्रों मंत्र को भी स्वीकार करने लगे हैं (जैन : 1996 - 8)।

**न्याय व्यवस्था** - प्राचीन काल में जनजातीय समाज में भाजगडिया की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा सम्माननीय मानी जाती रही है। यदि दो संगठनों या समूह में कोई विवाद होता था तो उसका निस्तारण भाजगडिया ही करता था परंतु वर्तमान में इस परिवर्तित युग में भाजगडिया का महत्व कम होता जा रहा है तथा आदिवासी सीधे ही न्यायालय की शरण लेने लगे

हैं। इसकी पुष्टि चयनित बांसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर के न्यायालय में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों से होती है। इसी परंपरागत रूप से चले आ रहे भाजगडिया के अधिकार न्यायालय में परिणित होते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि इन न्यायालयों में अधिकतर मुकदमों में भाजगडिया द्वारा तय किये जाने वाले मुकदमों की प्रकृति के हैं (गिल: संजय - 2004)।

इसी प्रकार, जनजातियों में प्राचीनकाल से ही परंपरागत पंचायत समाज की प्रत्येक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिसका संचालन ग्राम का गमेती या पटेल करता था एवं यह पद योग्यता एवं चुनाव प्रक्रिया आदि की प्रक्रिया से जुड़ा ना होकर परंपरागत होता है। वह परिवार का बुजुर्ग व्यक्ति होता था। उसकी सहायता के लिए कम से कम 2 सदस्य होते थे। इन्हें सलाहकार का दर्जा प्राप्त था। नगरपंचायत के प्रमुख कार्यों में पारंपरिक विवादों का निपटान शांति व व्यवस्थाएं बनाए रखना समाज के नियमों का पालन न करने वालों का पानी बंद करना अर्थात् समाज से बहिष्कृत करना, आर्थिक दंड देना आदि शामिल है। वास्तव में चयनित अध्ययन क्षेत्रों के आदिवासी परिवारों का प्रशासन इसी परंपरागत पंचायत के द्वारा संपादित किया जाता था (भटनगर : 1982 :86)। वर्तमान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विभिन्न कारणों के फलस्वरूप परंपरागत पंचायत की भूमिका में कमी आई है। 02 अक्टूबर 1952 बलवंत राय समिति की सिफारिश के आधार पर 'पंचायती राज व्यवस्था' से ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहभागिता बढ़ने के साथ-साथ सरकारी नियंत्रण में वृद्धि हुई है। ग्राम पंचायतों के गठन के पश्चात अब जनजाति समाज में भी परंपरागत पंचायतों की भूमिका में कमी हो गई है तथा अब उनके फैसले तथा आदेशों में सरकारी भागीदारी प्रत्येक घर में होने लगी है। आज यह सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख के पद पर आसीन है। इस प्रकार चयनित क्षेत्र के आधार से हम देखते हैं कि जनजाति समाज की राजनीतिक स्थिति में भी सुधार होने लगा है। विशेष तौर पर दक्षिणी राजस्थान की मीणा जनजाति राजनीति क्षेत्र में पंच, सरपंच एवं जिला प्रमुख पदों पर बहुतायत से आसीन देखे जा सकते हैं, जिससे इनकी न सिर्फ राजनीतिक बल्कि सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में भी आमूलचूल परिवर्तन देखे जा सकते हैं। सरकारी तंत्र में इनकी भागीदारी से इनमें आत्मविश्वास तथा सम्मान बढ़ा है।

**निष्कर्ष** - इस प्रकार स्पष्ट है कि विभिन्न जनजातीय समुदायों में जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित हो रहे हैं। कुछ परिवर्तित पहलू जनजाति समाज का स्वस्थ निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो कतिपय परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप आदिम समाज भ्रमित हो रहा है, परन्तु यह बात अवश्य सत्य है कि जनजाति समाज वर्तमान परिवेश में राष्ट्र की मुख्यधारा से अब भी अछूता है, क्योंकि सरकारी नीतियाँ व कार्यक्रम केवल जागरूक जनजाति तक ही पहुंच पाएँ हैं...। आज जनजाति समाज अपनी सांस्कृतिक पहचान खोता जा रहा है, क्योंकि पाश्चात्यकरण के प्रभाव स्वरूप यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को कम आंकने लगे हैं। साथ ही जठर अग्नि की समस्या के चलते ही इन्हें स्वयं की कला को भी बाजार में बेचना पड़ रहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दक्षिणी राजस्थान के विभिन्न कस्बों की सड़कों पर देखा जा सकता है। साथ ही यह बताना आवश्यक हो जाता है कि दक्षिणी राजस्थान की मीणा जनजाति में जागरूकता एवं अन्य कतिपय परिवर्तन अन्य जातियों की अपेक्षा अधिक देखी जा सकती है। जिसके परिणाम स्वरूप इस जनजाति में सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक- सांस्कृतिक परिवर्तन अन्य जनजातियों की अपेक्षा अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। आवश्यकता है अन्य जातियों को भी जागरूक करने की।

#### संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. Sharma C.L. : "Bhil Samaj : Kaka aur Sanskriti", Malti Publication, Jaipur, 1988.
2. Shrivastav Sunita: "Bhil Janjati : Parampara se adhunikta ke aur", Vanyajati XL VI (5) " 4-5, 1988.
3. Kunwar Neelam Etal: "Forestry : Role of Women", Khurukshetra, 47(10) : 40-43, 1999.
4. Saini S.K.: "Rajsthan ke adivasi", Uniq Publication, Jaipur, 2003
5. Jain P.C.: "Chritimity Ideology and Social change among tribals", Jaipur Rawat Publication, 1996.
6. Bhatnagar V.S.: "Social and Political awalking among the tribles of Rajasthan", Jaipur Centre for Rajasthan studies, University of Rajasthan, 1982.

\*\*\*\*\*